परिशिष्ट 4

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002

[12 दिसम्बर, 2002]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

(2) यह उस तारीख* को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन— संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"21क. **शिक्षा का अधिकार**— राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा ।"।

3. अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन—संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात् :--

"45. **छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध**— राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा ।"।

4. अनुच्छेद 51क का संशोधन—संविधान के अनुच्छेद 51क में, खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।"।

---

* तारीख अधिसूचित की जानी है ।

APPENDIX-IV

THE CONSTITUTION (EIGHTY-SIXTH AMENDMENT) ACT, 2002

[12th December, 2002]

An Act further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002.

(2) It shall come into force on such date* as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Insertion of new article 21A.—**After article 21 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:--

"21A. **Right to education.—**The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.".

3. **Substitution of new article for article 45.—**For article 45 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely:--

"45. **Provision for early childhood care and education to children below the age of six years.—** The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.".

4. **Amendment of article 51A.—**In article 51A of the Constitution, after clause (j), the following clause shall be added, namely:--

"(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the ago of six and fourteen years.".

**Date yet to be notified.*